संख्या : 52/2015/944(2)/छप्पन-2015-2/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 07 जुलाई, 2015

विषय : राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए-109-एस ग्रैण्ड पर कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 17-07-2015 से दिनांक 27-07-2015 तक मैसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड ट्रेनिंग अकादमी, इटली में ग्राउण्ड एवं सिमुलेटर ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 273/ना0उ0नि0/आप्स-20/2015, दिनांक 09 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए-109-एस ग्रैण्ड पर मैसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड ट्रेनिंग अकादमी, इटली में कै0 दिनेश श्रीवास्तव को ग्राउण्ड एवं सिमुलेटर प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण शुल्क रूपये 75/- प्रति यूरो की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) भारतीय मुद्रा में रूपये 2,25,000/- (रूपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र), वायुयान किराया रूपये 1,25,000/- (रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र), वीजा शुल्क रूपये 10,500/- (रूपये दस हजार पॉच सौ मात्र), 05 दिन का दैनिक भत्ता रूपये 65/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) भारतीय मुद्रा में रूपये 32,500/- (रूपये बत्तीस हजार पॉय सौ मात्र), 05 दिन का होटल किराया रूपये 65/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) भारतीय मुद्रा में रूपये 34,125/- (रूपये चौंतीस हजार एक सौ पच्चीस मात्र), 05 दिन का स्थानीय यात्रा भत्ता रूपये 65/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) भारतीय मुद्रा में रूपये 13,000/- (रूपये तेरह हजार मात्र) इस प्रकार कुल रूपये 4,40,125/- (रूपये चार लाख चालीस हजार एक सौ पच्चीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी जानी है, जिसमें से वायुयान किराये, दैनिक भत्ते, होटल किराये एवं लोकल यात्रा भत्ते की मद में निहित व्यय रूपये 2,25,000/- (रूपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय उक्त विवरणानुसार कै0 दिनेश श्रीवास्तव को इटली में दिनांक 17-07-2015 से दिनांक 27-07-2015 तक (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रूपये 4,40,125/- (रूपये चार लाख चालीस हजार एक सौ पच्चीस मात्र) की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति और स्वीकृत धनराशि में से रूपये 2,04,625/- (रूपये दो लाख चार हजार छ: सौ पच्चीस मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि रूपये 2,04,625/- (रूपये दो लाख चार हजार छ: सौ पच्चीस मात्र) का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10-6-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रशिक्षण हेतु विदेश यात्रा से पूर्व कै0 दिनेश श्रीवास्तव से नियमानुसार बॉण्ड पत्र निष्पादित कराया जायेगा।

4- मैसर्स अगुस्ता वेस्टलैण्ड ट्रेनिंग अकादमी, इटली को तत्कालीन विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जायेगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जायेगा।

5- प्रश्नगत प्रशिक्षण के उपरान्त वायुयान किराया, लोक यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं होटल किराया आदि से सम्बन्धित व्यय का विवरण (मूल बिल बाउचर के साथ) 15 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत् लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 52/2015/944(3)/छप्पन-2015-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।